समक्ष श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प जबलपुर -/-

R.925-II/14

(143)

निगरानी क्र• अ- 2011 3

उमाकांत नगरिया आत्मज गनेश प्रसाद नगरिया
निवासी- आजाद चौक कटनी तह•व जिला कटनी (म0प्र0)

----- आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0शासन
द्वारा - कलेक्टर कटनी ----- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0भू0राजस्व संहिता- 1959

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर
शाखा - रीडर
07 OCT 2011
कमिश्नर Commissioner
अधीक्षक Supdt.

क्रमांक 786

आवेदक/याचिकाकर्ता विचरण न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर म0 प्र0द्वारा अपील प्रकरण क्र0 284 अ-59/2008-09 पक्षकार (उमाकांत नगरिया विरूद्ध म0 प्र0 शासन) में पारित आदेश दिनांक 31/5/2010से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी का ज्ञापन आदेश की जानकारी एवं सत्यप्रतिलिपि प्राप्त दिनांक से निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करता है ।-

प्रकरण के तथ्य

(1) आवेदक द्वारा ग्राम अमराड़ाड नं•बं•16 प0ह0नं0 49/32 ग्राम पंचायत चंदरीकला विकास खण्ड कटनी में स्थित भूमि खसरा नं• 74 रकवा- 0•88 हेक्ट• के अंश भाग 0•66 हेक्ट•भूमि को राजस्व अभिलेखों के अवलोकन एवं नामांतरण पंजी में विक्रेता का नाम दर्ज होने के आधार पर विक्रेता श्रीमती संगीता बजाज पत्नी प्रवीण चंद्र बजाज साकिन बैंकट वार्ड कटनी वालों से दिनांक 12/3/98 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया है एवं क्रय की गई भूमि पर काबिज हुआ था ।

उमाकांत नगरिया

...2

R 925 ए/14 ([illegible])

27.4.16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पिछली पेशी पर उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को आवाज-समय पर तीन बार आवाज लगाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं हो। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।